

[2014] 10 एस.सी.आर. 864

ए. ताजुद्दीन

बनाम

भारत संघ

(2009 का दीवानी अपील संख्या 5773)

10 अक्टूबर 2014

[जगदीश सिंह खेहर एवं सी. नागप्पन, न्यायमूर्तिगण]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973:

धारा 9(1)(ख) एवं 50- धारा 9(1)(ख) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई - प्राधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से दिए गए एक बयान पर अवलंबन कर रहे हैं - अभिनिर्धारित: उक्त बयान पर आक्षेपित ज्ञापन में कोई अवलंबन नहीं किया गया था - इसलिए, स्वतः ही, प्राधिकारियों के लिए आक्षेपित ज्ञापन के अनुसरण में अपीलकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते समय उक्त बयान पर अवलंबन करना उचित नहीं था। इसके अलावा, चूंकि अपीलकर्ता ने ऐसे किसी भी बयान को देने से इनकार किया था, प्रवर्तन निदेशालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करे कि अपीलकर्ता ने ऐसा बयान दिया था, एवं ऐसा करने में विफल रहने के कारण, उनके लिए आक्षेपित ज्ञापन में अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने के लिए कथित बयान पर अवलंबन करना उचित नहीं था।

धारा 9(1)(ख) एवं 50 - धारा 9(1)(ख) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई- प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी के बयान - अभिनिर्धारित: उक्त बयानों को पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में

संदर्भित किया जाना चाहिए - किसी भी स्वतंत्र पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में, छापे के दौरान एवं अपीलकर्ता की अभिरक्षा में रहने के दौरान दर्ज किए गए अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी के उक्त बयान जो रिहाई के तुरंत बाद वापस ले लिए गए थे, अपीलकर्ता के दोष का निर्धारण करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकते - आक्षेपित ज्ञापन के अनुसरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई संपूर्ण कार्रवाई अपास्त की जाती है -साक्ष्य।

साक्ष्य:

धन वसूली के संबंध में 'महजार' का निष्पादन- अभिनिर्धारित: मात्र इस आधार पर कि 'महजार' पर दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, उसे विश्वसनीयता प्राप्त नहीं होती। - 'महजार' को ऐसी विश्वसनीयता तभी प्राप्त होगी जब उक्त दो स्वतंत्र साक्षियों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, एवं अपीलकर्ता को उनसे प्रति परीक्षण करने का अवसर दिया जाए। इस वाद में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके अलावा, उक्त 'महजार' 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के उल्लंघन को साबित करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार, 'महजार' का निष्पादन अपीलकर्ता के अपराध निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष 20.4.1989 को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथित बयान पर 12.3.1990 के ज्ञापन में कोई अवलंबन नहीं किया गया है। अतः, अधिकारियों के लिए उक्त बयान पर अवलंबन करना उचित नहीं था, जब वे 12.3.1990 के उक्त ज्ञापन के अनुसरण में अपीलकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर (अनुलग्नक पी-9) से स्पष्ट है कि उसने 20.4.1989 को कोई बयान देने से स्पष्ट रूप से

इनकार किया है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिनांक 20.4.1989 के बयान के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

[कंडिका 9) [878-एच; 879-ए-सी]

1.2. इसलिए, दिनांक 20.4.1989 के बयान पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अवलंबन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह साबित न होने के कारण कि अपीलकर्ता ने दिनांक 20.4.1989 का बयान दिया था, प्रवर्तन निदेशालय के लिए दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन में अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए इस पर अवलंबन करना उचित नहीं था। इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.4.1989 को दिया गया कथित बयान प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जो प्रवर्तन निदेशालय की एक मनगढ़ंत रचना प्रतीत होता है। [कंडिका 9-10] [880-ए-सी; 881-ई]

1.3. अपीलकर्ता की निर्दोषता या दोष का निर्धारण अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा (25.10.1989 एवं 26.10.1989 को) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए बयानों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, इस वाद में, उक्त बयानों को पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि अपीलकर्ता के दोष को सिद्ध करने वाले प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त सभी बयान या तो छापेमारी के समय दिए गए थे, जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के आवास पर की गई थी, या जब अपीलकर्ता प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में था। 27.10.1989 को अपीलकर्ता की जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद, उसी दिन, अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली के निदेशक को पत्र लिखकर उपरोक्त बयानों से इनकार किया एवं स्पष्ट रूप से कहा कि ये बयान दबाव एवं अनुचित प्रभाव में दर्ज किए गए थे एवं उन पर बाध्यकारी नहीं होंगे। अपीलकर्ता एवं

उसकी पत्नी के बयानों की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों से नहीं हुई थी। इस न्यायालय का यह मत है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पुष्टिकरण प्रकृति के स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने में गंभीर रूप से लापरवाह थे। इसलिए, अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा दिनांक 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को दिए गए वापस लिए गए बयान अपीलकर्ता के दोष निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं हो सकते। [कंडिका 15 एवं 18] [887-ई-एच; 890-ए-बी]

के. टी.एम.एस. मोहम्मद बनाम भारत संघ, 1992 (2) एससीआर 879 = (1992) 3 एससीसी 178; विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ, 2008 (17) एससीआर 1010 = (2008) 16 धारा 537 - उद्धृत।

1.4. केवल इस आधार पर कि "महज़ार" पर दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी विश्वसनीयता नहीं हो जाती। महज़ार की विश्वसनीयता तभी होगी जब उक्त दो स्वतंत्र साक्षियों को साक्षी के रूप में पेश किया जाए, एवं अपीलकर्ता को उनसे प्रति परीक्षण करने का अवसर दिया जाए। इस वाद में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके अलावा, यदि "महज़ार" को वैध एवं वास्तविक मान भी लिया जाए, तो भी यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता के निवास से बरामद राशि सिंगापुर के निवासी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भेजी गई थी, जो विदेशी मुद्रा का अधिकृत डीलर नहीं है। यहाँ तक कि, 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में, अपीलकर्ता ने अपने निवास से धन की बरामदगी को स्वीकार किया था, लेकिन यह स्वीकृति 1973 अधिनियम की धारा 9 (1) (ख) के उल्लंघन को साबित नहीं करती है। इस प्रकार, 25.10.1989 को "महज़ार" का निष्पादन अपीलकर्ता के अपराध के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है। [कंडिका 19] [890-डी-एच; 891-ए-बी]

1.5. अतः, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। फलस्वरूप, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के अनुसरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई संपूर्ण कार्रवाई भी अपास्त की जाती है। [कंडिका 21] [891-ई-एफ]

नजीर संदर्भ

1992 (2) एससीआर 879	संदर्भित	कंडिका 13
2008 (17) एससीआर 1070	संदर्भित	कंडिका 13

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 का दीवानी अपील संख्या 5773

मद्रास उच्च न्यायालय के 1994 के सीएमए संख्या 1282 में दिनांक 28.09.2006 के निर्णय एवं आदेश से]

अपीलकर्ता के लिए आर. नेदुमारन।

उतरदाता के लिए के. राधाकृष्णन अरिजीत प्रसाद, किरण भारद्वाज (बी.वी.बलराम दास के लिए)।

न्यायालय का निर्णय

जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति सुनाया गया.1. दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन ने भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी भी सामान्य या विशेष छूट के बिना सिंगापुर निवासी अब्दुल हमीद के कहने पर दो किस्तों में 8,24,900 रुपये की राशि प्राप्त की थी। पहली किस्त कथित तौर पर 23.10.1989 को प्राप्त हुई थी, जिसमें 4,00,000 रुपये शामिल थे। शेष राशि कथित तौर पर दूसरी किस्त में 25.10.1989 को प्राप्त हुई थी। ज्ञापन के अनुसार उपरोक्त राशि एक स्थानीय व्यक्ति से प्राप्त हुई थी, जो विदेशी मुद्रा का अधिकृत डीलर नहीं था।

2. उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप यह था कि उसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (जिसे आगे 1973 अधिनियम कहा गया है) की धारा 9(1)(ख) का उल्लंघन किया है। धारा 9(1)(ख) उपरोक्त को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

9. भुगतान पर प्रतिबंध - (1) इस उपधारा के प्रावधानों से किसी सामान्य या विशेष छूट के अनुसार, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सशर्त या बिना शर्त प्रदान की जा सकती है, को छोड़कर, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति -

(क) xxx xxx xxx

(ख) किसी अधिकृत डीलर के अलावा किसी अन्य माध्यम से, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यदि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें एक अधिकृत डीलर भी शामिल है) के माध्यम से भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के आदेश पर या उसकी ओर से कोई भुगतान प्राप्त करता है, बिना भारत के बाहर किसी स्थान से संबंधित आवक प्रेषण के, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकृत डीलर के अलावा किसी अन्य माध्यम से ऐसा भुगतान प्राप्त करने वाला माना जाएगा;

उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान एवं ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने 1973 अधिनियम की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की।

3. विवाद के गुण-दोष पर निर्णय लेने से पहले, दिनांक 12.3.1990 के उपर्युक्त ज्ञापन जारी करने से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन करना आवश्यक है। वादपत्रों एवं विभिन्न आदेशों से जो तथ्य सामने आते हैं, जिनके परिणामस्वरूप मद्रास उच्च न्यायालय (जिसे आगे उच्च न्यायालय कहा गया है) द्वारा दिनांक 28.9.2006 को आक्षेपित निर्णय पारित किया गया, उनका कालक्रमानुसार वर्णन नीचे किया जा रहा है:

(i) अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन पर आरोप है कि उसने प्रवर्तन निदेशालय को 20.4.1989 को एक बयान दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसे अब्दुल हमीद से 1,40,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। उपरोक्त राशि में से, उसने अपने दुकान के नौकर - शाहिब के माध्यम से 60,000 रुपये की राशि शाहुल हमीद (अब्दुल हमीद का एक रिश्तेदार) को दी, जो ग्राम पुधुमदम का निवासी था। 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि कीलकराई में अब्दुल हमीद के कुछ दोस्तों को दी गई, एवं शेष राशि अपीलकर्ता ने स्वयं रख ली। 20.4.1989 को दिए गए बयान में, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि अब्दुल हमीद सिंगापुर का निवासी था, एवं सिंगापुर के मार्केट स्ट्रीट में एक दुकान चला रहा था।

(ii) 25.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अपीलकर्ता के आवासीय परिसर, अर्थात्, 6, डॉ. मुनियाप्पा रोड, किलपौक, मद्रास पर छापा मारा। दोपहर 1.00 बजे शुरू हुए छापे के समय, उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू निवास पर थीं। अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन भी दोपहर 1.30 बजे अपने निवास पर पहुंचे, जबकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी छापे मार रहे थे। छापे के दौरान, अपीलकर्ता के निवास के एक शयनकक्ष में गद्दे के नीचे से 8,24,900/- रुपये भारतीय मुद्रा बरामद की गई।

(iii) 25.10.1989 को एक महजार तैयार किया गया, जिसमें छापे से बरामद मुद्रा का विवरण दिया गया था। उक्त महजार दो स्वतंत्र साक्षियों, अर्थात् आर.एम. सुब्रमणियन एवं हयाद बाशा की उपस्थिति में तैयार किया गया था। उपरोक्त स्वतंत्र साक्षियों ने भी महजार पर अपने हस्ताक्षर किए।

(iv) छापेमारी के समय ही, अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन का बयान दर्ज किया गया (25.10.1989 को)। अपीलकर्ता के उपरोक्त बयान का प्रासंगिक अंश नीचे दिया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है, कि अपीलकर्ता ने अब कथित तौर पर अब्दुल हमीद का पता 24, सारंगून रोड, सिंगापुर बताया है।

"आज आपके अधिकारियों ने मेरे उपर्युक्त घर की तलाशी ली एवं महजार में उल्लिखित 8,24,900 रुपये की राशि जब्त की। मैं मद्रास में एक आभूषण की दुकान खोलना चाहता था। मैंने "मेसर्स बानू ज्वैलर्स" के नाम से एक आभूषण की दुकान की स्थापना 19.10.1989 को नंगमबक्कम, मद्रास-34, रंगनाथन रोड, संख्या 12 पर की थी। यह एक साझेदारी व्यवसाय है जिसमें मेरी पत्नी टी. साहिरा बानू भागीदार हैं। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी के सोने के गहने बेच दिए एवं अपने मित्रों से ऋण भी लिया। यह व्यवसाय मेरी पत्नी के नाम पर 2,20,000 रुपये की पूंजी से शुरू किया गया था। दूसरे भागीदार श्री एस. मुथुस्वामी, जो इंदिरा नगर, अड्यार, संख्या 20 के निवासी हैं (मुझे उनका पता याद नहीं है), ने पूंजी में 30,000 रुपये का योगदान दिया है।

दुकान के विस्तार एवं व्यवसाय में सुधार के लिए मुझे लगभग 9,00,000 रुपये की आवश्यकता है। मेरे रिश्तेदार सिंगापुर एवं मलेशिया में कार्यरत हैं। मेरे पैतृक स्थान के अब्दुल हमीद पिछले 15 वर्षों से सरंगून रोड, संख्या 24 सरंगून,

सिंगापुर मे व्यवसाय चला रहे हैं। वह कपड़े, वीसीआर आदि का व्यापार करते हैं। वे लगभग दो महीने पहले मद्रास आए थे। उस समय, वे मुझे मेरे घर पर मिले। मैंने उन्हें बताया कि एक आभूषण का व्यवसाय शुरू करना है एवं उस व्यवसाय के लिए एवं कुछ छोटे ऋणों को चुकाने के लिए मुझे लगभग 9,00,000 रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा मैंने उनसे उक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया एवं आश्वासन दिया कि वे भारत यात्रा के दौरान दो या तीन वर्षों में कम ब्याज के साथ राशि चुका देंगे।

उन्होंने सिंगापुर पहुँचने पर मुझे दूरभाष पर संपर्क करने का आश्वासन दिया (घर का दूरभाष संख्या 666611)। उक्त अब्दुल हमीद ने लगभग दो महीने पहले सिंगापुर से मुझे दूरभाष किया एवं बताया कि मेरे अनुरोध के अनुसार उन्होंने 9,00,000 रुपये भेजने की व्यवस्था कर ली है एवं वे मुझे इसके भेजने के तरीके के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद इस महीने के दूसरे सप्ताह में, उक्त अब्दुल हमीद ने मुझे दूरभाष किया। उस समय उन्होंने बताया कि वे 8,25,000 रुपये दो किस्तों में भेजेंगे, जिनमें से एक 4,00,000 रुपये एवं दूसरी 4,25,000 रुपये होगी, एवं यह धनराशि इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से मेरे घर पहुँचा दी जाएगी। इसके बाद, 23.10.1989 को रात लगभग 9.00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मेरे घर आया एवं मेरे बारे में पूछताछ की एवं मुझे 4,00,000 रुपये देते हुए कहा कि वह यह रकम सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देश पर दे रहा है। इसी प्रकार, एक अन्य अज्ञात व्यक्ति 24.10.1989 को सुबह 8.00 बजे मेरे घर आया एवं मुझे 4,25,000 रुपये दिए एवं दावा किया कि वह उक्त सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देश पर आया है। मैंने उक्त

4,00,000 रुपये एवं 4,25,000 रुपये, कुल मिलाकर 8,25,000 रुपये, अपने घर में रखे थे, जो मुझे अब्दुल हमीद के निर्देश पर प्राप्त हुए थे।

प्रवर्तन अधिकारी ने घर की तलाशी ली एवं उपरोक्त तरीके से प्राप्त 8,24,900 रुपये जब्त कर लिए। उक्त अब्दुल हमीद, जो सिंगापुर में रहता है, मेरे पिता की ओर से दूर का रिश्तेदार है। वह सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहता है। वह साल में एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मेरे पैतृक गांव, पुधुमदम गांव आता था। उसकी उम्र 45 वर्ष है एवं लगभग 5.5 फीट लंबा, गोरा रंग एवं मध्यम कद काठी का है।

उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर 4,00,000 रुपये देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम एवं पता नहीं बताया। वह लगभग 35 वर्ष एवं मध्यम कद-काठी का था। उसने पैंट एवं कमीज़ पहनी हुई थी। उसने मुझे 4,00,000 रुपये देने के कुछ ही मिनटों के भीतर चला गया, इसलिए मैं उसके अन्य पहचान चिह्न नहीं देख सका। इसी तरह, दूसरा व्यक्ति जो 24.10.1989 को आया एवं उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर 4,25,000 रुपये की राशि दी, उसने भी अपना नाम एवं पता नहीं बताया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी। उसकी कद-काठी भी मध्यम है। दोनों ने उक्त राशि देने के कुछ ही मिनटों के भीतर मेरे घर से प्रस्थान कर दिया, इसलिए मैं उनके पहचान चिह्न नहीं देख सका। मैं रेडीमेड कपड़ों के निर्यात की व्यवस्था कर रहा था। इसके लिए मुझे अपने ग्राहकों से मिलने के लिए घर से अलग एक जगह की आवश्यकता थी। इसके लिए मैंने लगभग चार-पाँच महीने पहले नंगमबक्कम हाई रोड स्थित गणपत होटल में कमरा संख्या 402 किराए पर लिया था। मैं उस दुकान में दूरभाष संख्या 477409 का उपयोग कर रहा था। कमरे में एसी एवं

फ्रिज उपलब्ध थे। निर्यात का व्यवसाय मुझे रास नहीं आया, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। कमरा मेरे कब्जे में है।

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

(v) 25.10.1989 को की गई छापेमारी के दौरान, अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अभिरक्षा में लिया गया। उसका बयान 26.10.1989 को मुख्य प्रवर्तन अधिकारी द्वारा फिर से दर्ज किया गया, जब वह अभिरक्षा में था। उनके उपरोक्त कथन का प्रासंगिक अंश नीचे दिया जा रहा है:-

"मैंने पहले 25.10.1989 को आपके समक्ष बयान दिया था। उसमें मैंने खुलासा किया था कि 25.10.1989 को मेरे घर की तलाशी के दौरान आपके अधिकारियों ने 8,24,900 रुपये की राशि जब्त की थी, जो मुझे अज्ञात व्यक्तियों से 23.10.1989 एवं 25.10.1989 को सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देश पर प्राप्त हुई थी। यह सत्य है। 25.10.1989 को, उक्त अधिकारियों ने आभूषण की दुकान "बानू ज्वैलर्स" की तलाशी ली, जिसमें मेरी पत्नी सह-भागीदार हैं। उस समय मैं भी वहां मौजूद था। उक्त तलाशी में कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए। दूसरा सहभागी श्री मुथुसामी, जो जब्त की गई राशि 8,24,900 रुपये की देखरेख कर रहे हैं, उक्त व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है, उक्त व्यवसाय एवं जब्त राशि के बीच कोई संबंध नहीं है।

आज आपके अधिकारियों ने मद्रास-34, नुंगापक्कम हाई रोड स्थित गणपत होटल, संख्या 402 में मेरे कमरे की तलाशी ली, जिसे मैंने किराए पर लिया था। तलाशी के दौरान मैं वहीं मौजूद था। चूंकि मेरी चाबी खो गई थी, इसलिए ताला ठीक

करने वाले ने उसे खोला। उक्त तलाशी के दौरान ए.एल. टेक्सटाइल्स मिल्स से दिनांक 15.4.1989 का एक कोटेशन जब्त किया गया।

इससे पहले, पिछले अप्रैल में, मैं अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुआ एवं एक बयान दिया। आज मुझे वह बयान दिखाया गया जो मैंने 20.4.1989 को अधिकारियों के समक्ष दिया था। मैंने सिंगापुर के उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर अपने दुकान के लड़के, शाहिब के माध्यम से 1,40,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के बारे में बताया है। उसमें से, मैंने उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर पुधुमदम में शाहुल हमीद को 60,000 रुपये वितरित किए एवं अपने दुकान प्रबंधक, हसन के माध्यम से कीलकराई में एक मित्र को 20,000 रुपये का भुगतान किया। 20.4.1989 के बयान में उल्लिखित शाहुल हमीद एवं 25.10.1989 के बयान में उल्लिखित अब्दुल हमीद एक ही व्यक्ति हैं। दिनांक 24.10.1989 के उक्त बयान में मैंने कहा है कि अब्दुल हमीद सिंगापुर के मार्केट स्ट्रीट में एक फैसी स्टोर चला रहे हैं। दिनांक 25.10.1989 के बयान में मैंने कहा है कि अब्दुल हमीद सिंगापुर के सारंगून रोड पर एक दुकान चला रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपना कारोबार मार्केट स्ट्रीट से सारंगून रोड पर स्थानांतरित कर दिया है। दिनांक 20.4.1989 के बयान में मैंने कहा है कि मैं रामनाथपुरम के पेरियाकडाई वीथी में "सीमाती सिल्क" नाम से एक कपड़ा दुकान चला रहा हूँ। दिनांक 25.10.1989 के अपने बयान में मैंने कहा है कि मैं सलाई स्ट्रीट स्थित "सीमाती सिल्क" का स्वामी हूँ। पेरियाकडाई वीथी को पहले सलाई स्ट्रीट कहा जाता था। इस बयान में मैंने जो कुछ भी कहा है, वह सब सत्य है।"

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

(vi) जब अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में थे, तब उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू का बयान भी 26.10.1989 को दर्ज किया गया था। यह बयान कथित तौर पर उनके भतीजे एम.जे. जाफर सादिक द्वारा लिखा गया था एवं फिर टी. साहिरा बानू द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। उपरोक्त बयान में, टी. साहिरा बानू, ए. ताजुद्दीन की पत्नी ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के निवास स्थान, अर्थात् डॉ. मुनियाप्पा रोड, किलपौक, मद्रास के संख्या 6 से 8,24,900 रुपये की बरामदगी को स्वीकार किया।

(vii) 27.10.1989 को ए. ताजुद्दीन एवं टी. साहिरा बानू ने अपने पहले के बयान वापस ले लिए, यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध एवं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की धमकी एवं दबाव में दर्ज किया गया था।

4. 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में, अपीलकर्ता ने एक प्रत्युत्तर दाखिल किया (जो इस वाद के अभिलेख में अनुलग्नक पी-9 के रूप में उपलब्ध है)। अपने प्रत्युत्तर में, उन्होंने 20.4.1989 को कोई बयान देने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि 20.4.1989 के उपरोक्त बयान की प्रति उन्हें कभी नहीं दी गई थी, एवं न ही 12.3.1990 के ज्ञापन में इसका उल्लेख किया गया था। उन्होंने 25.10.1989 एवं 26.10.1989 के बयानों की तथ्यात्मक आलेख से भी इनकार किया। उन्होंने अब्दुल हमीद से कभी मिलने से इनकार किया। उन्होंने यह भी इनकार किया कि उन्हें कभी अब्दुल हमीद से कोई ऋण मांगने का अवसर मिला था। उन्होंने अब्दुल हमीद से किसी भी प्रकार की जान-पहचान होने से भी इनकार किया। 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को दर्ज किए गए बयानों के संबंध में, उन्होंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के निर्देश पर उपरोक्त बयान देने के लिए विवश किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उक्त बयान धमकी, दबाव एवं अनुचित प्रभाव के तहत दिए गए थे। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जिस दिन उन्हें अभिरक्षा से रिहा

किया गया था, उसी दिन, यानी 27.10.1989 को, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखकर 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को दिए गए अपने बयानों में उल्लिखित तथ्यों का खंडन किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू ने भी इसी तरह की कार्रवाई की थी, एवं उन्होंने भी 27.10.1989 के एक अलग पत्र के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में 26.10.1989 को दर्ज किए गए अपने बयान का खंडन किया था। जहां तक उसके निवास से बरामद मुद्रा का सवाल है, उसका स्पष्टीकरण यह था कि उसका सीमाती सिल्क नाम से एक स्थापित व्यवसाय था, जिसका वार्षिक कारोबार 25 से 30 लाख रुपये था। उसने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी टी. साहिरा बानू के भी कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, जिनमें सीमाती मैचिंग एवं बानू ज्वैलर्स शामिल थे, जिनसे वह आय अर्जित कर रही थी। उपरोक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा, अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन का यह तर्क था कि उसके कई अन्य व्यावसायिक प्रोजेक्ट भी थे, जिनसे वह स्वतंत्र आय अर्जित कर रहा था। ऊपर वर्णित वित्तीय स्थिति के अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि उसने ऋण लिया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 25.10.1989 को उनके आवास से बरामद की गई राशि में उपरोक्त सभी स्रोत शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि उन्होंने भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से, भारत में न रहने वाले किसी व्यक्ति के कहने पर, उपर्युक्त मुद्रा (8,24,900 रुपये) प्राप्त की थी।

5. अपीलकर्ता के उत्तर की जाँच करने के बाद, अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास ने दिनांक 22.4.1991 के एक आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) का उल्लंघन करने का दोषी है। इस निष्कर्ष के आधार पर, जब्त की गई राशि 8,24,900/- रुपये को जब्त करने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता पर 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए

1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। अतिरिक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास द्वारा दिनांक 22.4.1991 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय समिति (जिसे आगे अपीलीय समिति कहा गया है) के समक्ष अपील दायर की। उपर्युक्त 1991 की अपील संख्या 316 को 31.12.1993 के एक आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अपील स्वीकार करते हुए, अपीलीय समिति ने अपीलकर्ता पर लगाए गए 1,00,000/- रुपये के जुर्माने की वापसी का निर्देश दिया। अपीलीय समिति ने अपीलकर्ता के निवास से जब्त किए गए 8,24,900/- रुपये की ज़ब्ती से संबंधित निर्देश को भी अपास्त कर दिया।

6. अपीलीय समिति द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, भारत संघ ने प्रवर्तन निदेशक के माध्यम से 1973 अधिनियम की धारा 54 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अपील, 1994 के सी.एम.ए. एनपीडी संख्या 1282 को दिनांक 28.9.2006 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। उपरोक्त अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष 20.4.1989 को दिए गए बयान पर अवलंबन किया। उपरोक्त बयान को अपीलकर्ता द्वारा स्वेच्छा से दिया गया बताया गया। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलकर्ता द्वारा 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को दर्ज किए गए बयान स्वेच्छा से दिए गए थे, एवं इसलिए, उक्त बयानों को वापस लेना स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने मद्रास स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में 26.10.1989 को टी. साहिरा बानू द्वारा दिए गए बयान को स्वैच्छिक माना। उनके द्वारा उक्त बयान को वापस लेने को भी उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर अवलंबन किया कि अपीलकर्ता को उनकी अभिरक्षा के दौरान मद्रास के अतिरिक्त मुख्य महानगरीय दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने पेशी के दौरान दण्डाधिकारी को यह संकेत नहीं दिया था कि उन्हें एवं उनकी पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय

के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। यही मुख्य कारण था जिसके चलते उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा किए गए खंडन को अस्वीकार कर दिया।

7. जहां तक अब्दुल हमीद के नाम एवं पहचान की सत्यता का सवाल है, उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि जिस व्यक्ति ने प्रश्नगत धन भेजा था, उसका नाम एवं पहचान केवल अपीलकर्ता के व्यक्तिगत ज्ञान में थी, एवं इसलिए, अब्दुल हमीद के नाम एवं पहचान के बारे में उसके खुलासे पर संदेह नहीं किया जा सकता। जहां तक 20.4.1989 एवं 25.10.1989/26.10.1989 के बयानों में बताए गए अब्दुल हमीद के विभिन्न पतों का सवाल है, उच्च न्यायालय की राय थी कि अपीलकर्ता ने स्वयं ही उपरोक्त अब्दुल हमीद का पता बताया था, एवं इसलिए, उसे उक्त बयानों का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय का यह भी मत था कि मात्र इस कारण कि बयान अपीलकर्ता के आवास पर छापेमारी के समय एवं अभिरक्षा में रहते हुए दर्ज किए गए थे, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे स्वैच्छिक नहीं थे।

8. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि प्रवर्तन निदेशालय के लिए दिनांक 20.4.1989 के कथित बयान पर अवलंबन करना उचित नहीं था, जो अपीलकर्ता ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष दिया था। इस वाद के संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रबल तर्क था कि दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन में दिनांक 20.4.1989 के उपरोक्त बयान का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि दिनांक 20.4.1989 के उपरोक्त बयान की प्रति अपीलकर्ता को कभी नहीं दी गई थी। दरअसल, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रबल तर्क था कि अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वास्तव में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के कंडिका 16 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"16. अधिकारी द्वारा दी गई व्याख्या के संदर्भ में कि उनके पास 20.4.1989 को दिए गए बयान का कोई अभिलेख नहीं था जब ताजुद्दीन ने 26.10.1989 को बयान दिया था..."

यह भी तर्क दिया गया कि यदि अपीलकर्ता ने 20.4.1989 को ऐसा कोई बयान दिया होता, जिस पर अब प्रवर्तन निदेशालय अवलंबन कर रहा है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जाती। उसके खिलाफ कार्यवाही न किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा 20.4.1989 को ऐसा कोई पूर्व बयान दर्ज नहीं किया गया होगा।

9. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क पर गहन विचार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष 20.4.1989 को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथित बयान पर 12.3.1990 के ज्ञापन में कोई अवलंबन नहीं किया गया है। अतः, अधिकारियों के लिए उक्त बयान पर अवलंबन करना उचित नहीं था, जब वे 12.3.1990 के उपरोक्त ज्ञापन के अनुसरण में अपीलकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर (अनुलग्नक पी-9) से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने 20.4.1989 को कोई बयान देने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह ठोस साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध करे कि अपीलकर्ता ने वास्तव में 20.4.1989 को ऐसा बयान दिया था। यह भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि 20.4.1989 के उपरोक्त बयान के आधार पर अपीलकर्ता के

खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। वाद की तर्कों से स्पष्ट शब्दों में उपरोक्त बयान का अवलोकन करने से किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि यदि अपीलकर्ता ने ऐसा कोई बयान दिया होता, तो उसके खिलाफ 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के तहत कार्यवाही की जाती। मात्र इस तथ्य से कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है, किसी विपरीत साक्ष्य के अभाव में, कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया यह दावा कि उसने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया, अस्वीकृत रहा। ऊपर उद्धृत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के कंडिका 16 में दर्शाया गया कारण स्पष्ट रूप से एक कमजोर बहाना है। यद्यपि उपरोक्त बहाना वैध होता, यदि आरोप यह होता कि 20.4.1989 को दिए गए बयान का अभिलेख प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों के पास 25.10.1989 को हुई छापेमारी के समय उपलब्ध नहीं था, फिर भी यह कहना कि उक्त अभिलेख 26.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में दूसरा बयान देते समय उपलब्ध नहीं था, बिल्कुल समझ से परे है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दूसरा बयान मुख्य प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तब दर्ज किया गया था जब अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में था। उस समय यदि कथित तौर पर अभिलेख अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं था, तो इससे अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिलेख उपलब्ध ही नहीं था। उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, पहला, दिनांक 20.4.1989 के बयान पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अवलंबन नहीं किया जा सकता था। दूसरा, ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह साबित न होने के कारण कि अपीलकर्ता ने दिनांक 20.4.1989 का उपरोक्त बयान दिया था, प्रवर्तन निदेशालय के लिए दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन में अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए इस पर अवलंबन करना उचित नहीं था।

10. अपीलकर्ता के दिनांक 20.4.1989 के बयान के संदर्भ में, यह भी दर्ज करना आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान हमें यह आभास हुआ कि उपरोक्त बयान से हमें वाद की सच्चाई को एवं अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलेगी। 6.6.2014 को सुनवाई समाप्त होने के बाद, हमने उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता से वाद का अभिलेख हमें सौंपने का अनुरोध किया। हमने विद्वान अधिवक्ता को स्पष्ट रूप से बताया था कि इसका उद्देश्य यह था कि हम अपीलकर्ता के दिनांक 20.4.1989 के कथित बयान एवं उससे संबंधित अभिलेख की जांच करना चाहते थे। अनुपालन में, तलब किया गया अभिलेख 7.6.2014 को हममें से एक (न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर) के आवासीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पता चला कि उसमें अपीलकर्ता का दिनांक 20.4.1989 का कथित बयान या उससे संबंधित अभिलेख शामिल नहीं था। अतः उक्त अभिलेख को निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए तुरंत (7.6.2014 को ही) लौटा दिया गया:

श्री ए.बी. रावी, सहायक विधिक सलाहकार, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, चेन्नई कार्यालय, एवं श्री बी. नवीन कुमार, सहायक विधिक सलाहकार, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली मुख्यालय, ने आज 7 जून, 2014 को दोपहर लगभग 1:30 बजे माननीय न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, 6, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली - 110011 के आवासीय कार्यालय का दौरा किया। वे 2009 के दीवानी अपील संख्या 5773 (ए. ताजुद्दीन बनाम भारत संघ) से संबंधित मूल दस्तावेजों वाली संचिका सौंपने गए थे। चूंकि संचिका में दिनांक 20.4.1989 का दस्तावेज

(अपीलकर्ता का बयान) नहीं है, जिसके लिए तलब किया गया था, इसलिए माननीय न्यायाधीश के निर्देशानुसार संचिका वापस की जा रही है।

हस्ताक्षर/-

(दीपक गुगलानी)

कोर्ट मास्टर

7.6.2014

संचिका प्राप्तकर्ता:-

हस्ताक्षर/-

[श्री ए.बी. रावी]

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, आगे कोई भी अभिलेख हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया। यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है, जिसके कारण हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.4.1989 को दिया गया कथित बयान प्रवर्तन निदेशालय की मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के दिनांक 20.4.1989 के कथित बयान पर अवलंबन करना संभव नहीं है।

11. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, हम अब प्रवर्तन निदेशालय के पास उपलब्ध शेष साक्ष्यों की सत्यता की जाँच करेंगे, जो दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करते हैं। दिनांक 20.4.1989 के बयान को खारिज करने के बाद, अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन के बयान जो दिनांक 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को दर्ज किए गए थे, एवं साथ ही, उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू का बयान जो दिनांक 26.10.1989 को दर्ज

किया गया था, शेष हैं। उपरोक्त बयानों के अलावा, अपीलकर्ता के विरुद्ध शेष साक्ष्य 25.10.1989 को तैयार किए गए एक "महजार" के रूप में है, जिस पर दो स्वतंत्र साक्षियों, आर.एम. सुब्रमणियन एवं हयाद बाशा ने हस्ताक्षर किए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय ने द हिंदू एवं जनसथा अखबारों की उन शीटों पर भी अवलंबन किया, जिनमें अपीलकर्ता के आवास से बरामद नोटों के बंडल लपेटे गए थे। द हिंदू अखबार की शीटों की बात करें तो, वे दिल्ली एवं बॉम्बे संस्करणों की थीं, जिनकी तारीखें 19.2.1989, 14.4.1989, 23.7.1989 एवं 4.10.1989 थीं। जनसथा अखबार की शीटें भी फरवरी 1989 एवं 23.10.1989 के दिल्ली एवं बॉम्बे संस्करणों से संबंधित हैं।

12. उपर्युक्त शेष साक्ष्यों के संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रबल तर्क था कि ये साक्ष्य प्रवर्तन निदेशालय के उस भारी दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसके तहत अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोप को सिद्ध करना आवश्यक है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन था कि अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा दिए गए बयानों (25.10.1989 एवं 26.10.1989 को) पर अवलंबन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह चेतावनी दी गई कि यदि आरोपों को सिद्ध करने का यह तरीका मान्य माना जाता है, तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आसानी से व्यक्तियों को दबाव, धमकी एवं अनुचित प्रभाव के माध्यम से विवश कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कथित तौर पर इस वाद में किया है, एवं फिर उनके अपने बयानों के आधार पर उन्हें दंडित कर सकते हैं। यह निवेदन किया गया कि इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, प्रवर्तन निदेशालय के पास अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन एवं उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू द्वारा दिए गए बयानों की सत्यता स्थापित करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध था। इस संबंध में यह बताया गया कि अपीलकर्ता ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि धन भेजने वाला अब्दुल हमीद मूल रूप से उसके गाँव पुधुमदम, जिला रामनाथपुरम का निवासी था। उसने

यह भी कहा कि उक्त अब्दुल हमीद उससे पिता की ओर से संबंधित था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवलंबन किए गए बयानों में, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर यह भी खुलासा किया था कि अब्दुल हमीद ने उससे सिंगापुर से दूरभाष पर संपर्क किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्यापित किए जा सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब्दुल हमीद के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति की प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने 20.4.1989 के बयान में उल्लेख किया था कि अपीलकर्ता ने सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देशों पर रु. कुल 1,40,000 रुपये में से 60,000 रुपये शाहुल हमीद को पुधुमदम में उनके दुकानदार - शाहिब के माध्यम से दिए गए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि शाहिब के माध्यम से कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह स्पष्ट है, कि उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति गलत पाई गई, एवं इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस संबंध में कोई एवं बयान दर्ज नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने सहायक प्रवर्तन निदेशक के समक्ष सिंगापुर के राजस्व विभाग का दिनांक 2.9.1990 का एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि सिंगापुर के सारंगून रोड स्थित 24 संख्या के पते पर ऐसा कोई पता नहीं है। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को दिए गए बयानों का मूल आधार ही निरर्थक हो जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक अधिवक्ता ने सिंगापुर के संपत्ति कर नियंत्रक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की थी, जिसमें दर्शाया गया था कि सारंगून रोड पर ऐसा कोई पता नहीं है, जहां कथित तौर पर अब्दुल हमीद अपना व्यवसाय चला रहा था।

13. यह तर्क देने के लिए कि अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन एवं उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू द्वारा दिए गए बयानों पर कानूनी रूप से अवलंबन नहीं किया जा सकता, अपीलकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता ने के.टी.एम.एस. मोहम्मद बनाम भारत संघ, (1992) 3 एससीसी 178 पर अवलंबन किया एवं हमारा ध्यान कंडिका 34 में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया। इसे नीचे उद्धृत किया गया है:

34. हमारा मानना है कि इस कानूनी पहलू पर सभी निर्णयों को संक्षेप में बताना एवं दोहराना आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों का सार यह है कि सीमा शुल्क अधिकारियों या प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष संबंधित अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दिए गए किसी भी बयान की स्वैच्छिक प्रकृति, किसी भी उद्देश्य के लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यदि बयान किसी प्रलोभन, धमकी, दबाव या किसी अनुचित साधन से प्राप्त किया गया प्रतीत होता है, तो उस बयान को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि कोई बयान वापस ले लिया गया है, उसे अनैच्छिक या गैरकानूनी रूप से प्राप्त के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह केवल बयान देने वाले व्यक्ति का दायित्व है, जो प्रलोभन, धमकी, वादा आदि का आरोप लगाता है, कि वह यह साबित करे कि ऐसे अनुचित साधन अपनाए गए हैं। हालांकि, यदि बयान देने वाला व्यक्ति प्रलोभन के अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहता है, तब भी... धमकी आदि। बयान दर्ज करने वाले अधिकारी के विरुद्ध। अधिकारी, बयान देने वाले के दोषारोपण संबंधी बयान पर कार्रवाई करते समय, बाद में किए गए खंडन पर कम से कम व्यक्तिपरक रूप से विचार करने के अपने दायित्वों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है, यह मानते हुए कि दोषारोपण संबंधी बयान जबरन नहीं लिया गया था। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है

कि प्राधिकारी या कोई भी न्यायालय, यदि किसी दोषसिद्धि कथन को स्वैच्छिक मानकर उस पर कार्रवाई करना चाहता है, तो उसे खंडन पर विचार करना चाहिए एवं उसे लिखित रूप में अस्वीकार कर देना चाहिए। केवल इसी कानूनी सिद्धांत पर, इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह निर्णय दिया है कि किसी ऐसे बंदी के दोषसिद्धि कथन के आधार पर निरोध आदेश पारित करते समय भी, जिसने फेरा या सीमा शुल्क अधिनियम आदि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, निरोध प्राधिकारी को बाद में किए गए खंडन पर विचार करना चाहिए एवं दोषसिद्धि कथन को स्वीकार करने से पहले अपनी राय दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा आदेश अमान्य हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, रोशन बीवी बनाम तमिलनाडु सरकार के संयुक्त सचिव, लोक विभाग, [1983] एलडब्ल्यू (अपराधिक) 289, जिसमें हममें से एक (एस. रत्नावेल पांडियन, न्यायमूर्ति) पक्षकार थे।

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

उपरोक्त उद्धृत निर्णय में व्यक्त कानूनी स्थिति को पूरक करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ*, (2008) 16 एससीसी 537 पर भी अवलंबन जताया एवं हमारा ध्यान उसमें दर्ज निम्नलिखित निष्कर्ष की ओर आकर्षित किया:

36. किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह पूरी तरह से साबित करे कि इकबालिया बयान किसी प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा प्रलोभन, धमकी या वादे के बल पर लिया गया था। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि इकबालिया बयान स्वैच्छिक था एवं धमकी आदि के

परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं किया गया था, यदि इसे केवल दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बनाया जाना है।

37. किसी इकबालिया बयान की स्वैच्छिक प्रकृति या अन्यथा के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, जिसे बाद में वापस ले लिया गया है, न्यायालय को संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें वापस लेने का समय, इसकी प्रकृति, जिस तरीके से वापस लिया गया है एवं अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं। कानून यह नहीं कहता कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसके द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को वापस लेना धमकी, दबाव आदि के कारण था, बल्कि आवश्यकता यह है कि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो।

38. इस वाद में, अन्वेषण अधिकारियों ने स्वयं की जांच नहीं की। अधिनियम के तहत अधिकारियों एवं न्यायाधिकरण ने भी बयान वापस लेने पर विचार करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाला एवं इसके लिए ठोस एवं वैध कारण बताते हुए इसे खारिज कर दिया। जबकि किसी इकबालिया बयान को वापस लेना ही उसे किसी आपराधिक वाद या अर्ध-आपराधिक वाद की कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान एवं उसे वापस लेने, दोनों के पक्ष एवं विपक्ष पर विचार करने के लिए बाध्य है। यह कहना एक बात है कि वापस लिए गए इकबालिया बयान का उपयोग दोषी पाए जाने के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए सहायक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि

ऐसा निष्कर्ष केवल ऐसे इकबालिया बयान के आधार पर निकाला जाता है, भले ही उसे बाद में वापस ले लिया गया हो।

39. अपीलकर्ता को 27.10.1994 को गिरफ्तार किया गया था; उसे 28.10.1994 को विद्वान मुख्य महानगर दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान वापस ले लिया एवं स्पष्ट रूप से बताया कि यह स्वीकारोक्ति किस प्रकार प्राप्त की गई थी। उसके अनुसार, उसका किसी भी कथित आयात लेनदेन, बैंक खाते खोलने, मेसर्स सन एंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी बनाने, निर्यात नियंत्रण, बिल ऑफ एंट्री एवं अन्य दस्तावेजों या कथित प्रेषणों से कोई संबंध नहीं था। उसने कहा कि स्वीकारोक्ति न केवल झूठी थी बल्कि अनैच्छिक भी थी।

40. यह आरोप कि उन्हें प्रवर्तन विभाग के कार्यालय में दो दिन एवं दो रातों तक अभिरक्षा में रखा गया था, का खंडन नहीं किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा 28.10.1994 को विद्वान मुख्य महानगर दण्डाधिकारी के समक्ष दायर किए गए आवेदन में दिए गए बयानों का खंडन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण एवं साथ ही अधिकारियों ने कानून के संदर्भ में गलत निर्णय लिया क्योंकि वे अपने सामने सही प्रश्न प्रस्तुत करने में विफल रहे। न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कार्यवाही की कि कारण बताओ अधिसूचना जारी करना एवं उसकी तामील करना कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है, केवल इसलिए कि इसके कारण कार्यवाही करने वाले को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। न्यायाधिकरण को अपना निर्णय कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने पर आधारित करना चाहिए था।

41. अपीलकर्ता द्वारा माननीय मुख्य महानगर दण्डाधिकारी के समक्ष दिया गया बयान मात्र एक निराधार बयान नहीं था। यह निष्कर्ष कि यह साबित करने का भार कि उसने धमकी एवं दबाव में वे बयान दिए थे, केवल कार्यवाही करने वाले पर था, किसी कानूनी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा इस भार को साबित करने में विफलता का प्रश्न तभी उठता जब भार उस पर होता। यदि भार राजस्व विभाग पर था, तो उसे यह तथ्य साबित करना था। न्यायाधिकरण ने अपने स्वतंत्र परीक्षण के आधार पर, अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों की जांच करने के बाद, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि बिना किसी धमकी, प्रलोभन या बल के दिए गए इकबालिया बयान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 लागू नहीं होती।

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

14. भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्षों पर अवलंबन करते हुए उपर्युक्त तर्कों का खंडन करने का प्रयास किया गया।

15. सबसे पहले, हम अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन एवं उनकी पत्नी टी. साहिरा बानु द्वारा 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए बयानों की सत्यता की जाँच करने का प्रयास करेंगे। तथ्यात्मक विवाद पर आगे बढ़ने से पहले, यह दर्ज करना आवश्यक है कि हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार, अंतिम विश्लेषण में, अपीलकर्ता की निर्दोषता या दोष का निर्धारण अपीलकर्ता एवं उनकी पत्नी द्वारा (25.10.1989 एवं 26.10.1989 को) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए बयानों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, इस वाद के लिए, उपरोक्त बयानों को सहायक साक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि

अपीलकर्ता के दोष को साबित करने वाले प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में, हम इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति को लागू करने का प्रयास करेंगे, ताकि उन बयानों की सत्यता एवं विश्वसनीयता का निर्धारण किया जा सके, जिन्हें बाद में अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा वापस ले लिया गया। उपरोक्त बयानों के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि ये सभी बयान या तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के आवास पर की गई छापेमारी के समय दिए गए थे, या जब अपीलकर्ता प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में था। अपीलकर्ता को मद्रास के अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी द्वारा 27.10.1989 को जमानत पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद, उसी दिन अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन एवं उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू ने प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली के निदेशक को पत्र लिखकर उपरोक्त कथनों का खंडन किया एवं स्पष्ट रूप से कहा कि ये कथन दबाव एवं अनुचित प्रभाव में दर्ज किए गए थे एवं उन पर बाध्यकारी नहीं होंगे।

16. उपरोक्त मुद्दे पर गहन विचार करने के बाद, हमारा यह मत है कि दिनांक 25.10.1989 एवं 26.10.1989 के बयान किसी भी परिस्थिति में अपीलकर्ता के विरुद्ध दोष सिद्ध करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते। यदि केवल ऐसे मौखिक बयानों पर अवलंबन करके ही निर्णय दिए जा सकते हैं, तो ऐसे बयान आसानी से उन व्यक्तियों पर थोपे जा सकते हैं जिनके विरुद्ध 1973 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में उनके कार्यों के कारण कार्यवाही की जा रही थी। ऐसे बयान आसानी से विश्वसनीय नहीं होने चाहिए, जब तक कि उक्त बयानों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की स्वतंत्र स्रोतों से स्वतंत्र पुष्टि न हो। आवश्यक पुष्टि की प्रकृति प्रत्येक वाद के तथ्यों पर निर्भर करेगी। वर्तमान वाद में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन एवं उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू ने पहले ही अवसर पर उन बयानों से मुकर गए जिन पर अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए

अवलंबन किया जा रहा है। अब हम यह जांचने का प्रयास करेंगे कि क्या उपरोक्त बयानों का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र पुष्टि करने वाला साक्ष्य मौजूद है।

17. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पास अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त बयान देते समय प्रकट किए गए कई महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रभावी अवसर था, फिर भी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आसानी से ऐसे साक्ष्य एकत्र कर सकते थे। किसी भी प्रकार के समर्थन के अभाव में, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन एवं उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू द्वारा वापस लिए गए बयानों का उपयोग अपीलकर्ता के विरुद्ध निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं किया जा सकता।

18. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे साक्ष्य जुटाए जा सकते थे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि अब्दुल हमीद, जिस पर सिंगापुर से धन भेजने का आरोप है, रामनाथपुरम जिले के पुधुमदम गांव का निवासी था, जहां से अपीलकर्ता भी संबंधित है। यह दर्शाने के लिए भी आलेख जुटाई जा सकती थी कि क्या वह अपीलकर्ता से उसके पिता की ओर से संबंधित था। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय आसानी से यह सिद्ध कर सकता था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा बताए गए दावे के अनुसार, उक्त अब्दुल हमीद ने उससे सिंगापुर से दूरभाष पर संपर्क किया था एवं उसे 25.10.1989 को उसके निवास से बरामद राशि की डिलीवरी के बारे में सूचित किया था। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था जिससे यह सिद्ध हो सके कि उपर्युक्त अब्दुल हमीद, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता ने 20.4.1989, 25.10.1989 एवं 26.10.1989 को बयान दिए थे, वास्तव में सिंगापुर का निवासी था एवं वहाँ अपीलकर्ता द्वारा

बताए गए स्थानों पर व्यवसाय चला रहा था। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन के दुकानदार शाहिब से भी इस तथ्य की सत्यता का पता लगा सकते थे, जिसे उसने कथित तौर पर पुधुमदम गाँव के शाहुल हमीद (अब्दुल हमीद का एक रिश्तेदार) को 60,000 रुपये सौंपने के लिए भेजा था। यदि अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी के बयानों की पुष्टि ऊपर वर्णित प्रकृति के स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा की गई होती, तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन एवं उसकी पत्नी टी. साहिरा बानू द्वारा दिए गए बयानों की सत्यता को स्वीकार करने की गुंजाइश होती। दुर्भाग्य से, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता को स्थापित करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने का प्रयास नहीं किया। हमारा यह मत है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पुष्टिकरण प्रकृति के स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने में गंभीर रूप से लापरवाह थे। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता एवं उसकी पत्नी द्वारा वापस लिए गए बयान अपीलकर्ता के दोष का निर्धारण करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।

19. अब हम अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों पर विचार करेंगे, जिन पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए अवलंबन जताया था। एवं इसके आधार पर, हम यह निर्धारित करेंगे कि क्या यह साक्ष्य अपने आप में पर्याप्त है, या ऊपर उल्लिखित वापस लिए गए बयानों के साथ मिलकर, वर्तमान विवाद का निर्णय करने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले, 25.10.1989 को (बरामदगी के समय, अपीलकर्ता के निवास से) निष्पादित "महजार" पर अवलंबन किया गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलकर्ता ने दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में दिनांक 25.10.1989 को निष्पादित "महजार" की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। केवल इसलिए कि

"महज़ार" पर दो स्वतंत्र साक्षियो, आर.एम. सुब्रमणियन एवं हयाद बाशा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी विश्वसनीयता सिद्ध नहीं होती। ऐसी विश्वसनीयता "महज़ार" को तभी प्राप्त होती जब उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षियो को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाता एवं अपीलकर्ता को उनसे प्रति परीक्षण करने का अवसर दिया जाता। दुर्भाग्य से, इस वाद में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेकिन फिर, क्या "महज़ार" की तैयारी एवं 8,24,900 रुपये की वसूली का तथ्य अपीलकर्ता के अपराध को साबित करता है, जहाँ तक 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के उल्लंघन का संबंध है? हमारे विचार में, यदि "महज़ार" को वैध एवं वास्तविक मान भी लिया जाए, तो भी यह साबित करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है कि अपीलकर्ता के निवास से बरामद राशि सिंगापुर निवासी अब्दुल हमीद द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भेजी गई थी जो विदेशी मुद्रा का अधिकृत व्यापारी नहीं है। यहां तक कि 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में, अपीलकर्ता ने अपने निवास से 8,24,900 रुपये की बरामदगी स्वीकार की थी, लेकिन यह स्वीकृति 1973 के अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के उल्लंघन को साबित नहीं करती। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हमारा मत है कि 25.10.1989 को "महज़ार" का निष्पादन इस वाद में अपीलकर्ता के अपराध का निर्धारण करने के लिए अप्रासंगिक है।

20. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवलंबन किया गया एकमात्र अन्य स्वतंत्र साक्ष्य हिंदू एवं जनसथा समाचार पत्रों के पन्ने हैं, जिनमें 25.10.1989 को बरामदगी के समय धन के बंडल लपेटे गए थे। उपरोक्त कंडिका में व्यक्त स्थिति को देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(ख) के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप उन समाचार पत्रों के पन्नों के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, जिनमें धन लपेटा गया था। जिन समाचार पत्रों पर अवलंबन किया गया है, वे यह स्थापित नहीं करते कि अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन के निवास से

बरामद राशि अब्दुल हमीद द्वारा सिंगापुर से किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भेजी गई थी जो अधिकृत डीलर नहीं था।

21. उपरोक्त निर्णय एवं ऊपर दर्ज किए गए विभिन्न निष्कर्षों के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के अनुसरण में अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई संपूर्ण कार्रवाई भी अपास्त की जाती है। उपरोक्त के फलस्वरूप, प्रवर्तन निदेशालय को अपीलकर्ता को जब्त की गई राशि 8,24,900 रुपये (₹) तत्काल वापस करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही अपीलकर्ता द्वारा जुर्माने के रूप में जमा की गई 1,00,000 रुपये (₹) भी वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

22. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है।

राजेंद्र प्रसाद

अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।